<u>अति–तत्काल</u>
<u>ई–मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा</u>
सं. 113 / 6 / प्रशा. / र.सं. (19) / 14
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा भवन
उलान बाटर मार्ग,
दिल्ली छावनी – 10
दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
रक्षा मंत्रालय
दक्षिण / मध्य / पश्चिम / पूर्व / उत्तर / दक्षिण–पश्चिम कमान
पुणे / लखनऊ / चंडीगढ़ / कोलकाता / जम्मू / जयपुर

निदेशक,
राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान
दिल्ली छावनी

विषय : **एफ आर 56(जे) तथा एफ आर 56(1) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1) के तहत 50 / 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने, जो भी पहले हो, पर समीक्षा**

इस महानिदेशालय के पत्र संख्या 113 / 6 / प्रशा. / र.सं.(19) / 14 दिनांक 01.03.2016 के संदर्भ में।

2. संदर्भित विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013 / 1 / 2013–स्था–(ए) दिनांक 21.03.2014 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013 / 01 / 2013– स्था. –ए–IV दिनांक 11.09.2015 **(संलग्नक–I व II)** द्वारा सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि **एफ आर 56(जे), एफ आर 56(1) तथा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 48(1)** में निहित प्रावधानों के अनुसार 50 / 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा अवधि पूर्ण होने, जो भी पहले हो, पर उसे सेवा में रखा जाए अथवा जनहित में उनको सेवा–निवृत्त कर दिया जाए।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013 / 01 / 2013–स्था.–ए– IV दिनांक 11.09.2015 के पैरा–10 के अनुसार एफ आर 56(जे), एफ आर 56(1) तथा सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों में उनके 50 / 55 साल की आयु प्राप्त कर लेने और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से छह माह पूर्व निम्नलिखित कैलेंडर के अनुसार <u>**तिमाही आधार पर**</u> समीक्षा की जानी चाहिए :–

क.सं.	**तिमाही जिसके अंतर्गत समीक्षा की जानी है**	**तिमाही में 50 / 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में,**
1.	जनवरी से मार्च	उसी वर्ष के जुलाई से सितम्बर के बीच
2.	अप्रैल से जून	उसी वर्ष के अक्तूबर से दिसम्बर के बीच
3.	जुलाई से सितम्बर	अगले वर्ष के जनवरी से मार्च के बीच
4.	अक्तूबर से दिसम्बर	अगले वर्ष के अप्रैल से जून के बीच

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त अनुदेशों के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने एफ आर 56(जे), एफ आर 56(1), सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम 48 के तहत रक्षा संपदा संगठन के ग्रुप 'ए' तथा 'बी' राजपत्रित अधिकारियों और ग्रुप 'बी' तथा 'सी' अराजपत्रित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा हेतु समीक्षा समिति और आंतरिक समिति के निम्नलिखित संघटन को स्वीकृति दी है :

<u>राजपत्रित अधिकारियों के लिए समीक्षा समिति</u>

		अध्यक्ष	सदस्य
1.	एसीसी तथा गैर–एसीसी नियुक्ति पर ग्रुप 'ए' अधिकारी	रक्षा सचिव	अपर सचिव
2.	ग्रुप 'बी' राजपत्रित	संयुक्त सचिव	निदेशक

<u>आंतरिक समिति</u>

		अध्यक्ष / सभापति	सदस्य
1.	एसीसी तथा गैर–एसीसी नियुक्ति पर ग्रुप 'ए' अधिकारी	महानिदेशक, रक्षा संपदा	1. अपर महानिदेशक (प्रशा.)
2.	ग्रुप 'बी' राजपत्रित कर्मचारी		2. उप महानिदेशक (सतर्कता) 3. उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

<u>अन्य अधिकारियों / पदाधिकारियों के लिए समीक्षा समिति</u>

		अध्यक्ष	सदस्य
1.	**रक्षा संपदा महानिदेशालय** में कार्यरत अराजपत्रित ग्रुप 'बी' एवं 'सी' कार्मचारी	अपर महानिदेशक (प्रशासन / सतर्कता)	उप महानिदेशक / सहा. महानिदेशक (प्रशा.)
2.	**राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में कार्यरत** अराजपत्रित ग्रुप 'बी' एवं 'सी' कर्मचारी	निदेशक, रा.र.सं.प्र.सं.	संयुक्त निदेशक, रा.र.सं.प्र.सं.
3.	**प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा (डीईओ / एडीईओ कार्यालयों सहित)** के क्षेत्राधिकार / अंतर्गत कार्यरत अराजपत्रित ग्रुप 'बी' एवं ग्रुप 'सी' कर्मचारी	निदेशक (प्रशा.)	संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (प्रशा.)

5. कृपया ध्यान दें कि एफ आर 56(जे), एफआर(1) और सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के नियम, 48(1) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा की प्रगति की अब उच्चतम स्तर पर ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) की जा रही है। इस संदर्भ में सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा कैबिनेट सचिव ने स्वयं क्रमशः 03.02.2016 और 18.02.2016 को समीक्षा बैठक की। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समीक्षा के संबंध में रक्षा मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों से मासिक स्थिति / प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

6. इस विषय के महत्व को देखते हुए **अनुरोध किया जाता है कि एफ आर एवं सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के अंतर्गत उक्त प्रावधानों के तहत अधिकारियों / पदाधिकारियों की आवधिक समीक्षा हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई शुरू करें** तथा इस विषय में हुई प्रगति की सूचना **<u>मासिक आधार पर</u>** इस महानिदेशालय को भेजें। ऐसी पहली रिपोर्ट इस महानिदेशालय में **<u>01.04.2016</u> तक अवश्य** पंहुच जानी चाहिए।

7. इसे महानिदेशक, रक्षा संपदा के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पी. डेनियल

(पी डेनियल)
अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता)
कृते महानिदेशक, रक्षा संपदा

प्रतिलिपि :

1. सभी रक्षा संपदा अधिकारी

आंतरिक प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, रक्षा संपदा के निजी सहायक
2. वरिष्ठ अपर महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. रक्षा संपदा महानिदेशालय के सभी अधिकारी
4. राजभाषा अनुभाग / ए यू एंड आर सी / डी एम एस / वेबसाइट
5. फ्लोट फाइल